फॉर्म – ब

[देखिये नियम 9 (3), (4) और (6)]

कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

कमांक : एफ. 12( )(1)राज/2019/49 दिनांक : 04/01/2021

–: संपरिवर्तन आदेश :–

प्रार्थी श्री पूनमाराम पुत्र लच्छाराम जाति जाट निवासी चाहरों की बस्ती,हाथीतला तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर (राजस्थान) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति मे धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:–

1.	आवेदक खातेदारान अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूर्ण पता	श्री पूनमाराम पुत्र लच्छाराम जाति जाट निवासी चाहरों की बस्ती,हाथीतला तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर (राजस्थान)
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नही
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–	
	(क) ग्राम /ग्राम पंचायत/ तहसील का नाम	ग्राम – चाहरों की बस्ती तहसील बाड़मेर
	(ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (बीघा/हैक्टर/वर्गमीटर मे)	खसरा नम्बर 618/402 मूल रकबा 6–09 बीघा समर्पण पश्चात रक़बा 6–01 बीघा में से रकबा 1225 वर्ग मीटर किस्म बारानी दोयम
	(ग) प्रत्येक खसरा के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्ग मीटर मे)	ख्खसरा नम्बर 618/402 मूल रकबा 6–09 बीघा समर्पण पश्चात रकबा 6–01 बीघा में से रकबा 1225 वर्ग मीटर किस्म बारानी दोयम
	टिप्पणी– अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए,राजस्व नक्शें के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति संलग्न है।	
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ
5.	संदेय संपरिवर्तन प्रभारों की दर	16.17/–रूपये प्रति वर्गमीटर (DLC दर – निर्धारित दर व कय दस्तावेज का 10% से अधिकतम होने से)
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम की रकम	GRN No. 36082458/17-12-20 = Rs. 19,816/- E-Grass TC Chalan No.5418105/17-12-2019
7.	चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नही
8.	चालान की संख्या और तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	शून्य
9.	क्या आदेश विनियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
10.	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हों	नहीं

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

(i) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

(ii)यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने मे विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रिमियम धन समपहृत हो जायेगा।

10

(iii) नियम –4 मे यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।

(iv) वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। आवेदक केवल आवेदित क्षेत्र मे वाणिज्यिक(पैट्रोल पम्प) गतिविधिया संचालित कर सकेगा ।

(v) आवेदक को रूपान्तरित भूमि से पेड इस शर्त पर हटाने की अनुमति हैं कि वह हटाये गए पेडों के तीन गुणा सघन या छायादार वृक्ष एक वर्ष के भीतर लगाएगा। यदि ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे प्रति वर्ष 500 रूपयें राजस्व खाते में पेनल्टी के रूप में वसूले जायेगें, जब तक पौधा लगकर तैयार नही हो जाता,संबधित पालना सुनिश्चित करें।

(vi) संपरिवर्तित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 बाडमेर–सांचौर सड़क पर अवस्थित है। परियोजना निदेशक,राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,बाडमेर द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र संख्या 5614 दिनांक 28.11.2019 अनुसार सड़क मध्य भाग से 40 मीटर भूमि छोडकर सपरिवर्तन किया जाता है। वाणिज्यिक (पैट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ का निर्माण राष्ट्रीय सडक कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्धारित सड़क सीमा के पश्चात किया जाएगा, भविष्य मे सडक की चौडाई बढाये जाने के दौरान यदि सडक सीमा मे कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे आवदेक को अपने खर्चे से हटाना होगा तथा आवेदक द्वारा मुआवजा हेतु कोई क्लेम नही किया जावेगा। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा । प्रार्थी को पैट्रोल पम्प निर्माण से पूर्व R.O.(MoRTH) jaipur से ऑन लाईन NOC प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए आवेदक बाध्य होगा ।

(vii) भविष्य में संपरिवर्तन शुल्क के संबंध में किसी ऑडिट द्वारा कोई राजस्व वसूली निकाली जाती है तो उसका भुगतान करने के लिए आवेदक उतरदायी होगा एवं उक्त आदेश से पाबन्द होगा ।

(viii) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन)नियम 2007 एवं समय–समय पर इस संबध में जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।

(ix) उक्त भूमि के बिल्डिंग प्लान अनुमोदन के लिए राजस्व विभाग जयपुर की संशोधित अधिसूचना एफ. 6(26)राज–6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के नियम 19–बी. की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जानी होगी। पैट्रोल पम्प के LOI Holders भूमि संपरिवर्तन पश्चात explosive Department द्वारा NOC/License प्रदान करने की शर्त पर निर्माण विस्फोटक विभाग द्वारा निर्धारित मानक अनुसार करेगें।

(x) उपर्युक्त सभी शर्तो की पालना करने हेतु आवेदक बाध्य होगा । किसी भी शर्त के उल्लघंन की दशा एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, शपथ पत्र में अंकित किसी भी तथ्य के गलत पाये जाने पर बिना सुनवाई आदेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से स्वयं जिम्मेवार होगा ।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

क्रमांक : एफ. 12( )(1)राज/2019/ 50-56 दिनांक 04/01/2021

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा/न्यायिक शाखा,जिला कार्यालय,बाड़मेर ।
2. उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर ।
3. तहसीलदार बाड़मेर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वित विभाग (कर अनुभाग) की अधिसूचना दिनांक 08.03.2016 के परिप्रेक्ष्य में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज. अजमेर के पत्रांक एफ. 7(171)विधि/रिट/16/9211–9743 दिनांक 04.10.2019 से प्रदत्त निर्देशानुसार नियमानुसार पंजीयन कर संपरिवर्तित भूमि का शर्तो के अध्यधीन राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उप पंजीयक बाड़मेर ।
5. पटवारी हाथीतला तहसील बाड़मेर ।
6. आवेदक श्री पूनमाराम पुत्र लच्छाराम जाति जाट निवासी चाहरों की बस्ती,हाथीतला तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर (राजस्थान) ।
7. रक्षित पत्रावली।

(ओम प्रकाश विश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर

SITE PLAN OF LAND APPLIED FOR COMMERCIAL CONVERSION (PETROL PUMP), OF SH. PUNMARAM S/o SH. LACHHARAM AT KH. No. 618/402, ON N.H. 68, AT VILLAGE CHAHARO KI BASTI, G.P. HATHI KA TALA, TEH. & DISTT. BARMER (RAJ.)

PROPOSED LAND APPLIED FOR CONVERSION : 1225 SQ. METRES

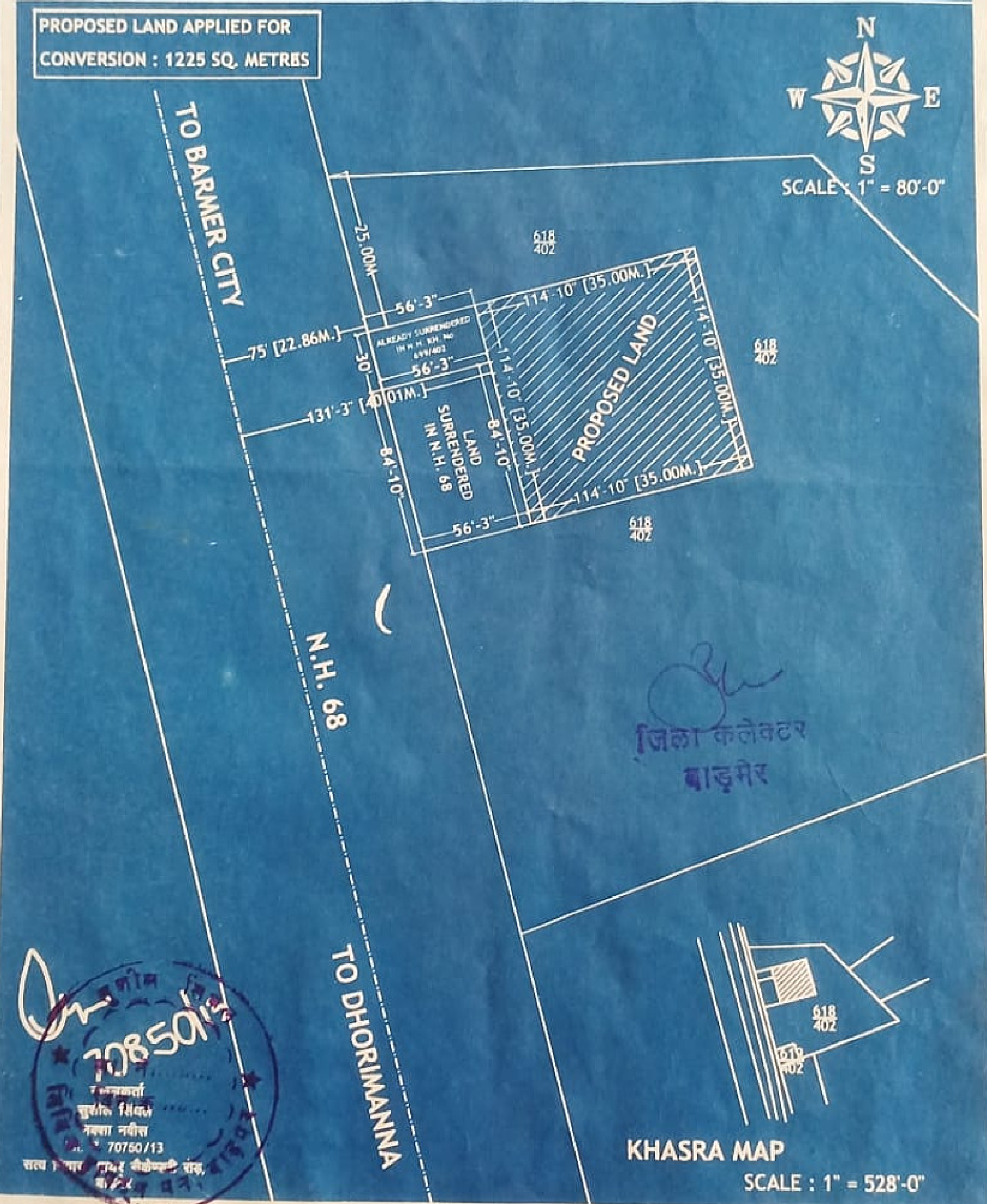

तहसीलदार बाड़मेर

C/S

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर